न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00429

ग्राम पंचायत सिसोला जरिये सरपंच, पंचायत समिति नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र स्व0 श्री बजरंग ।
2. रामकरण पुत्र स्व0 बजरंग जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सिसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 09.02.2013 के द्वारा ग्राम पंचायत सीसोला को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आबादी विस्तार हेतु ग्राम सीसोला की आराजी खसरा नम्बर 387 रकबा 07 बीघा भूमि आरक्षित करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.2017 के द्वारा खारिज कर दी । न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने मानीनय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 14.11.2017 के द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2019 के द्वारा अपीलान्ट के कब्जे की आराजी पर तरमीम किये जाने के आदेश पारित किया और पूर्व में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश पारित किये हैं ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट ग्राम पंचायत सीसोला के द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई के अधिकारों से वंचित करते हुए पूर्णतया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करके निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पूर्व का आदेश जो तरमीम बाबत् दिया गया था उक्त आदेश को निरस्त करवाये बिना पुनः स्वयं द्वारा ही निर्णय पारित करते हुए पूर्व की तरमीम निरस्त नहीं की जा सकती । वादग्रस्त आराजी पर आबादी बसी हुई है और मकान बने हुए हैं । नई तरमीम को आधार मानकर आबादी से बेदखल करने पर रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 आमदा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटित कृषि भूमि की तरमीम परिवर्तित किये जाने का निवेदन किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर बिना किसी निर्देश एवं सूचना के दिनांक 30.09.2019 को स्वीकार कर लिया अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । बिना तलबी के ही एकपक्षीय कार्यवाही की गई है अपीलान्ट को आबादी विस्तार हेतु सेट–अपार्ट की गई। भूमि पूर्व से ही आबाद भूमियों से घिरी हुई है। बिना मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये मनमाने रूप से निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं था । सेट–अपार्ट आदेश के विरूद्ध अपील को दिनांक 20.09.2017 को खारिज किया गया था । राजस्व मण्डल ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है । ग्राम पंचायत को सेट–अपार्ट की गई भूमि को निरस्त नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 92 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आराजी सेट–अपार्ट की गई है और धारा 92 के तहत आबादी विस्तार हेतु भूमि सेट–अपार्ट करने की शक्तियॉ जिला कलक्टर की हैं और राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 17.01.67 के तहत ये शक्तियॉ उपखण्ड अधिकारी को Delegate की गई है । ऐसी स्थिति में यह आदेश जिला कलक्टर के द्वारा पारित आदेश माना जावेगा जिसकी अपील संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष पेश की जा सकती है न कि इस न्यायालय में । अपीलान्ट को विधि सम्मत रूप से तामील करवायी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 09.02.2013 को निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी को धारा 92 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आबादी विस्तार के लिए सेट–अपार्ट किया गया है जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.09.2017 को अपील खारिज की गई थी और माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश होने पर परीक्षण न्यायालय को दिनांक 14.11.2017 को प्रतिप्रेषित किया गया । इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। धारा 92 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कृषि आराजी को सेट–अपार्ट करने की शक्तियॉ जिला कलक्टर को प्रदत्त की गई हैं और राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 17.01.1967 से ये शक्तियॉ उपखण्ड अधिकारी को delegate की गई हैं । ऐसी स्थिति में शक्तियों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप (delegatation of power) उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय जिला कलक्टर द्वारा पारित ही माना जावेगा जिसकी अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को न होकर संभागीय आयुक्त महोदय को है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलान्ट को लौटाई जाती है ।

11. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा